बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना–800015.

स्पीड पोस्ट

464

फोन नं0 :– 0612–2217352
फैक्स नं0 :– 0612–2215611
ई–मेल :– ceo_bihar@eci.gov.in

पत्रांक – EXP-04/2023- 2249 पटना, दिनांक 12 जुलाई, 2023 ई0।

प्रेषक

मिथिलेश कुमार साहु, (भा०प्र०से०)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

सेवा में

अध्यक्ष / महासचिव,
Aam Adhikar Morcha,
Manoj Mandal, Adarsh Nagar, Chethariya Peer, Ward No. 15,
P.O. & P.S.-Kahalgaon, District- Bhagalpur, Bihar - 813203
(पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, बिहार राज्य)।

विषय :– राजनैतिक दलों द्वारा दाखिल किये जाने वाले अंशदान रिपोर्ट (Contribution Report), वार्षिक लेखा परीक्षित लेखे (Audited Annual Accouts) एवं निर्वाचन व्यय विवरण (Election Expenditure Statements) को ऑन–लाईन विधि से दाखिल करने के संबंध में।

प्रसंग :– भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली का पत्रांक 505/Meeting/IT Module/PPEMS/2022 दिनांक 30.06.2023.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ किया जाये। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा राजनैतिक दलों द्वारा दाखिल किये जाने वाले अंशदान रिपोर्ट (Contribution Report), वार्षिक लेखा परीक्षित लेखे (Audited Annual Accouts) एवं निर्वाचन व्यय विवरण (Election Expenditure Statements) को ऑन–लाईन विधि से दाखिल करने हेतु Integrated Election Expenditure Monitoring System (IEMS) पोर्टल (https://iems.eci.gov.in)की शुरूआत की गयी है। सभी राजनैतिक दलों द्वारा उक्त रिपोर्ट को भौतिक रूप से जमा किये जाने के क्रम में आनेवाली कठिनाईयों को दूर करना तथा सभी वित्तीय प्रतिवेदनों को ससमय जमा सुनिश्चित कराना ही आयोग के इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है। आयोग के पत्रांक 505/Meeting/IT Module/PPEMS/2022 दिनांक 30.06.2023, जो सभी राजनैतिक दलों को संबोधित है, की कंडिका–6 में ऑन–लाईन फाईलिंग के संबंध में निम्नलिखित निदेश दिये गये हैं :–

" The Commission urges all the Political Parties to start filing above mentioned financial reports through online mode. To start the onboarding process, you are requested to provide name of the signatory authorized to sign financial statements, his mobile number and authorized email which party plans to use for the purpose, preferably within 15 days. However, if a political party does not wish to file the financial report through online mode for some reasons (to be conveyed to the Commission in writing), it may continue to file its reports in hard copies along with CD/Pen drive in the prescribed formats, which Commission will in turn publish online along with letter of the party justifying non-filing of financial statements online."

463

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा Integrated Election Expenditure Monitoring System (IEMS) पोर्टल पर ऑन–लाईन माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु पत्र के साथ User Manual एवं FAQ भी संलग्न किया गया है। साथ ही उक्त सभी वित्तीय प्रतिवेदनों के ऑनलाईन फाईलिंग में सहायता हेतु राजनैतिक दलों के आवश्यकतानुसार आयोग द्वारा राजनैतिक दलों के प्राधिकृत व्यक्ति को हैण्डस–ऑन प्रशिक्षण भी दिया जाना है। इसके लिए प्राधिकृत व्यक्ति का ई–मेल आई0डी0 एवं मोबाईल नम्बर श्री विनोद कुमार, सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली (Email-bkumar.eci@eci.gov.in) को उपलब्ध कराना है, ताकि आयोग द्वारा प्रशिक्षण हेतु तिथि एवं समय निर्धारित किया जा सके।

विदित हो कि आयोग द्वारा निर्गत पत्र FAQ एवं IEMS Portal से संबंधित User Manual की की प्रति भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के वेबसाईट (https://ceobihar.nic.in/iems.html) पर भी संधारित है।

उक्त के आलोक में आयोग से प्राप्त पत्र की प्रति एवं इसके साथ संलग्न FAQ एवं IEMS Portal से संबंधित User Manual की प्रति भेजते हुए निदेशानुसार अनुरोध है कि आयोग के प्रासंगिक पत्र द्वारा दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन

अनु0 : यथा उपर्युक्त।

(मिथिलेश कुमार साहु)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।